



सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/619/2024/...110.....

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान/निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना

निदेशक/अधीक्षक, सभी अतिविशिष्ट स्वास्थ्य संस्थान, पटना

पटना, दिनांक 08/04/2024

विषय: लोक सभा निर्वाचन-2024 के चुनाव कार्य के दौरान प्रतिनियुक्त कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि लोक सभा निर्वाचन, 2024 दिनांक 19.04.2024 से प्रारंभ होकर सात चरणों में दिनांक 01.06.2024 को समाप्त होगा। लोक सभा निर्वाचन में बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों को चुनाव कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है। निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा ससमय उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। अंकनीय है कि चुनाव के दौरान हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में घायल होने अथवा अचानक बीमार होने की स्थिति में चुनाव पदाधिकारी/कर्मियों एवं आमजनों/मतदाताओं को चिकित्सीय कार्य की आकस्मिकता के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर उनकी निर्भरता रहती है।

2. उक्त के परिप्रेक्ष्य में पूर्व की भांति जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में निर्बाध एवं अहर्निश चिकित्सकीय सेवा, पूर्ण चिकित्सकीय क्षमता के अनुरूप उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस हेतु निम्नांकित अनुदेशों का अनुपालन अचूक रूप से सुनिश्चित किया जाये :-

- सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जिला के सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दक्ष चिकित्सा दल तैनात किया जाय। उक्त सभी स्वास्थ्य संस्थान 24x7 क्रियाशील रहेंगे।
- चुनाव अवधि के दौरान चिकित्सक, पारा चिकित्सा कर्मी एवं चिकित्सकीय कार्य से जुड़े अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। साथ ही, कोई भी चिकित्सक चुनाव के तीन दिन पूर्व से लेकर चुनाव के एक दिन बाद तक पदस्थापन जिला से बाहर नहीं जा सकेंगे।
- First Aid Kit के रूप में आने वाली आवश्यक दवायें यथा- Anti Diarrheal Medicine के रूप में ORS Sachet, Zinc Sulphate Tablet, Metronidazole Tablet, Anti Amoebic Medicine के रूप में Ofloxacin Tablet, Pantoprazole Tablet, Dicyclomine HCL Tablet तथा Anti Emetic Medicine के

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार

- रूप में Domperidone Tablet, Ondansetron Tablet के अतिरिक्त दर्द एवं बुखार की दवा यथा- Ibuprofen Tablet एवं Paracetamol Tablet, Cotton, Bandage, Povidone Iodine Ointment जैसी आवश्यक दवाओं के साथ-साथ छः मास्क का एक-एक किट सभी मतदान केन्द्रों हेतु जिला सामग्री कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय।
- (iv) जिलों के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्पताल से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चुनाव के दौरान EDL में निहित आवश्यक दवाओं/जीवन रक्षक दवाओं एवं Medical Devices & Consumables के साथ ही सर्पदंश की दवा की पर्याप्त उपलब्धता अचूक रूप से सुनिश्चित की जाय।
- (v) जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में BLS एवं ALS एम्बुलेंसों को सभी प्रकार के आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं उपकरणों तथा दक्ष चिकित्सा कर्मियों सहित तैयार हालत में रखा जाये। सभी एम्बुलेन्स में आक्सीजन की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- (vi) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्पताल में सामान्य चिकित्सकों के अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सक on call ड्यूटी पर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे एवं आकस्मिक परिस्थिति में सूचित करने पर वे शीघ्र अस्पताल में उपस्थित हो जायेंगे।
- (vii) अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल एवं सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 24 घंटे चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय। इन केन्द्रों पर दक्ष चिकित्सकों एवं पारा चिकित्सा कर्मियों के दल की सतत उपस्थिति तथा पर्याप्त औषधियों का भंडारण सुनिश्चित कराया जाय। इसके साथ ही एम्बुलेंस सेवा को विशेष परिस्थिति में रेफर करने हेतु एलर्ट अवस्था में रखा जाये।
- (viii) चुनाव के दौरान पूरे राज्य में गर्मी का प्रकोप संभावित है। इसके कारण सन स्ट्रोक से मतदाता एवं मतदान कर्मियों के प्रभावित होने की प्रबल संभावना के मद्देनजर सभी स्वास्थ्य संस्थानों में Dehydration एवं Diarrhoea तथा सन स्ट्रोक से संबंधित बीमारियों के उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- (ix) जिलों के सिविल सर्जन उपर्युक्त कंडिका (iii) में अंकित औषधियों के अतिरिक्त अन्य औषधियों आदि को भी आवश्यकतानुसार किट में शामिल कर सकते हैं।
- (x) चुनाव हेतु जिलान्तर्गत Dispatch Centre एवं Reception Centre पर चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल की टीम आवश्यक दवा के साथ तैनात रहेंगी।
- (xi) सभी मतदान केन्द्रों पर कोविड अनुरूप प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (xii) निर्वाचन कार्य के निमित्त राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा जिलों में उपलब्ध कराये गये Foldable Wheel Chair एवं समाज कल्याण विभाग के बुनियादी केन्द्रों पर इस निमित्त उपलब्ध



Foldable Wheel Chair की उपयोगिता जिला प्रशासन से समन्वय कर मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित की जाय।

3. अतः अनुरोध है कि लोक सभा निर्वाचन के दौरान जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में मतदान एवं मतगणना की निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व से एक दिन बाद (D-1, D, D+1) लगातार तीन दिनों की अवधि तक उपरांकित सभी व्यवस्थाओं सहित चिकित्सक एवं पारा चिकित्साकर्म प्रत्येक स्थिति में अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वसभाजन

Suhanshu
08/04/24
(सुहर्ष भगत)



सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/619/2024/.....

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान/निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना

निदेशक/अधीक्षक, सभी अतिविशिष्ट स्वास्थ्य संस्थान, पटना

पटना, दिनांक

विषय: लोक सभा निर्वाचन-2024 के चुनाव कार्य के दौरान प्रतिनियुक्त कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि लोक सभा निर्वाचन, 2024 दिनांक 19.04.2024 से प्रारंभ होकर सात चरणों में दिनांक 01.06.2024 को समाप्त होगा। लोक सभा निर्वाचन में बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों को चुनाव कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है। निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा ससमय उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। अंकनीय है कि चुनाव के दौरान हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में घायल होने अथवा अचानक बीमार होने की स्थिति में चुनाव पदाधिकारी/कर्मियों एवं आमजनों/मतदाताओं को चिकित्सीय कार्य की आकस्मिकता के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर उनकी निर्भरता रहती है।

2. उक्त के परिप्रेक्ष्य में पूर्व की भांति जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में निर्बाध एवं अहर्निश चिकित्सकीय सेवा, पूर्ण चिकित्सकीय क्षमता के अनुरूप उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस हेतु निम्नांकित अनुदेशों का अनुपालन अचूक रूप से सुनिश्चित किया जाये :-

- सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जिला के सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दक्ष चिकित्सा दल तैनात किया जाय। उक्त सभी स्वास्थ्य संस्थान 24x7 क्रियाशील रहेंगे।
- चुनाव अवधि के दौरान चिकित्सक, पारा चिकित्सा कर्मी एवं चिकित्सकीय कार्य से जुड़े अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। साथ ही, कोई भी चिकित्सक चुनाव के तीन दिन पूर्व से लेकर चुनाव के एक दिन बाद तक पदस्थापन जिला से बाहर नहीं जा सकेंगे।
- First Aid Kit के रूप में आने वाली आवश्यक दवायें यथा- Anti Diarrheal Medicine के रूप में ORS Sachet, Zinc Sulphate Tablet, Metronidazole Tablet, Anti Amoebic Medicine के रूप में Ofloxacin Tablet, Pantoprazole Tablet, Dicyclomine HCL Tablet तथा Anti Emetic Medicine के

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार



- रूप में Domperidone Tablet, Ondansetron Tablet के अतिरिक्त दर्द एवं बुखार की दवा यथा- Ibuprofen Tablet एवं Paracetamol Tablet, Cotton, Bandage, Povidone Iodine Ointment जैसी आवश्यक दवाओं के साथ-साथ छः मास्क का एक-एक किट सभी मतदान केन्द्रों हेतु जिला सामग्री कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय।
- (iv) जिलों के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्पताल से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चुनाव के दौरान EDL में निहित आवश्यक दवाओं/जीवन रक्षक दवाओं एवं Medical Devices & Consumables के साथ ही सर्पदंश की दवा की पर्याप्त उपलब्धता अचूक रूप से सुनिश्चित की जाय।
- (v) जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में BLS एवं ALS एम्बुलेंसों को सभी प्रकार के आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं उपकरणों तथा दक्ष चिकित्सा कर्मियों सहित तैयार हालत में रखा जाये। सभी एम्बुलेन्स में आक्सीजन की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- (vi) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्पताल में सामान्य चिकित्सकों के अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सक on call ड्यूटी पर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे एवं आकस्मिक परिस्थिति में सूचित करने पर वे शीघ्र अस्पताल में उपस्थित हो जायेंगे।
- (vii) अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल एवं सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 24 घंटे चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय। इन केन्द्रों पर दक्ष चिकित्सकों एवं पारा चिकित्सा कर्मियों के दल की सतत उपस्थिति तथा पर्याप्त औषधियों का भंडारण सुनिश्चित कराया जाय। इसके साथ ही एम्बुलेंस सेवा को विशेष परिस्थिति में रेफर करने हेतु एलर्ट अवस्था में रखा जाये।
- (viii) चुनाव के दौरान पूरे राज्य में गर्मी का प्रकोप संभावित है। इसके कारण सन स्ट्रोक से मतदाता एवं मतदान कर्मियों के प्रभावित होने की प्रबल संभावना के मद्देनजर सभी स्वास्थ्य संस्थानों में Dehydration एवं Diarrhoea तथा सन स्ट्रोक से संबंधित बीमारियों के उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- (ix) जिलों के सिविल सर्जन उपर्युक्त कंडिका (iii) में अंकित औषधियों के अतिरिक्त अन्य औषधियों आदि को भी आवश्यकतानुसार किट में शामिल कर सकते हैं।
- (x) चुनाव हेतु जिलान्तर्गत Dispatch Centre एवं Reception Centre पर चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल की टीम आवश्यक दवा के साथ तैनात रहेंगी।
- (xi) सभी मतदान केन्द्रों पर कोविड अनुरूप प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (xii) निर्वाचन कार्य के निमित्त राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा जिलों में उपलब्ध कराये गये Foldable Wheel Chair एवं समाज कल्याण विभाग के बुनियादी केन्द्रों पर इस निमित्त उपलब्ध



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



Foldable Wheel Chair की उपयोगिता जिला प्रशासन से समन्वय कर मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित की जाय।

3. अतः अनुरोध है कि लोक सभा निर्वाचन के दौरान जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में मतदान एवं मतगणना की निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व से एक दिन बाद (D-1, D, D+1) लगातार तीन दिनों की अवधि तक उपरांकित सभी व्यवस्थाओं सहित चिकित्सक एवं पारा चिकित्साकर्मी प्रत्येक स्थिति में अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुहर्ष भगत)

ज्ञापांक SHSB/PM/619/2024/...110..... पटना, दिनांक...08/04/2024

प्रतिलिपि:-

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को कृपया सूचनार्थ।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, को सूचनार्थ एवं निदेश है कि अपने स्तर से भी उक्त निदेशों के अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये एवं एतद् संबंधी सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

Suharsh
08/04/24

कार्यपालक निदेशक

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार